

**NAB**

भविष्य की ओर भारत

## राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



**वार्षिक**

**प्रतिवेदन**  
**2019-20**



वार्षिक  
प्रतिवेदन  
2019 -2020



वसुधैव कुटुम्बकम्  
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

## प्रौद्योगिकी



शोधा तुकं विकास



## नवाचार (एकेवर्तन)



## विषय सूची

पृष्ठ सं.

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) के बारे में ..... 4 -16

### केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार प्रमाणित वित्तीय विवरण

1. तुलन पत्र-एनएबी ..... 18
2. आय और व्यय लेखा-एनएबी ..... 19
3. तुलनपत्र की अनुसूची-एनएबी ..... 20-30
4. प्राप्ति और भुगतान लेखा-एनएबी ..... 31-32
5. खातों पर नोट्स-एनएबी ..... 33-34

एनएबी स्पष्टीकरण के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत के नियंत्रण ..... 35-44  
एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

## राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड के बारे में

1. राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक स्वायत्त सोसायटी है, जिसकी स्थापना 2013 में (पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के XXI के तहत संगम ज्ञापन (एमओए) और नियमों एवं विनियमों के साथ की गई थी।
2. सोसाइटी का उद्देश्य ऑटोमोटिव क्षेत्र से तकनीकी और डोमेन विशेषज्ञता को एक मंच पर लाना है। इससे मोटर वाहन उद्योग को प्रभावित करने वाली नीतियों, विनियमों और हस्तक्षेपों को आकार देने में शामिल विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के बीच सहयोग में सुविधा होगी। ऐसा करने से, इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध होगा।
3. सोसाइटी के एमओए में सोसायटी के विस्तृत लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। कुछ प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं:
  - i. मोटर वाहन क्षेत्र से संबंधित डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना। सरकारी नीति और विनियमन तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करने के प्रयोजन से ऐसे डेटा का विश्लेषण करना।
  - ii. एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों में पालन की जाने वाली परीक्षण प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मानकीकरण सुनिश्चित करना और परीक्षण केंद्र सह-संबद्ध लेखापरीक्षा और बैंचमार्किंग करना।
  - iii. किसी भी ऑटोमोटिव परीक्षण और परीक्षण केंद्र विवादों के लिए अपीलीय निकाय होना और एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों द्वारा किए गए प्रमाणन, प्रत्यायन और परीक्षण से संबंधित शिकायतों का निवारण करना।
  - iv. परीक्षण केंद्रों की ओर से व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों (डीपीआर) को विकसित करना, इन्हें वित्तपोषण एजेंसियों को प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्राप्त करना। अनुसंधान एवं विकास परियोजना कार्यान्वयन पर्यवेक्षण, परियोजना निगरानी और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामों की रिपोर्टिंग का पर्यवेक्षण भी एनएबी द्वारा किया जाएगा।
  - v. भारी उद्योग संस्थान के अंतर्गत परीक्षण केन्द्रों के कार्यकरण का प्रशासन, निगरानी, समन्वय, विनियमन और सहक्रियाशीलता करना ताकि केन्द्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रदान की जा रही अपेक्षित सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने, सुविधाओं की बैंचमार्किंग सुनिश्चित की जा सके।
  - vi. यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा केंद्रों में सरकार द्वारा किए गए निवेश पर इष्टतम रिटर्न प्राप्त हो।
  - vii. नई ऑटोमोटिव पहलों, ऑटोमोटिव नीति, सांविधिक अनुपालन, शिकायत निवारण और सीबीसी, लेखापरीक्षा आदि जैसी सरकार की संवैधानिक एजेंसियों से संबंधित मामलों सहित सरकार से प्राप्त संदर्भों के संबंध में एवं उपरोक्त सभी मामलों में परीक्षण-केंद्रों के साथ पर्यवेक्षण, प्रशासन और समन्वय रखना।
  - viii. क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, लेखा परीक्षा/प्रत्यायन और परीक्षण केंद्रों की आवश्यकताओं का उन्नयन/विस्तार करना।
  - ix. नैटिस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखना।
  - x. सरकार अथवा शासी परिषद्, एनएबी द्वारा दी गई किसी भी अन्य जिम्मेदारियों और कार्यों का अनुपालन करना।

- xi. शासी परिषद्, एनएबी द्वारा यथाअनुमोदित शुल्क के साथ बाहरी एजेंसियों को परामर्श और विशेषज्ञता प्रदान करना।
- xii. राष्ट्रीय / वैश्विक परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों, उद्योग संघों, मोटर वाहन नीति निर्माण, परीक्षण, होमोलोगेशन, विनियम, प्रमाणन, मान्यता, अनुसंधान एवं विकास और नई पहल से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम करना।
4. सोसायटी के नियमों और विनियमों के संदर्भ में, शासी परिषद् एक शासी निकाय है, जिसे सोसायटी का प्रबंधन सौंपा गया है। पंजीकरण के उद्देश्य से शासी परिषद् का गठन आठ सदस्यों के साथ किया गया था जिसका प्रतिनिधित्व अब सोसाइटी के निम्नलिखित ‘सदस्य वर्गों’ के 24 सदस्यों द्वारा किया जाता है:
- साधारण सदस्य;
  - कार्यात्मक सदस्य;
  - सदस्य केंद्र;
  - संबद्ध सदस्य;
  - मनोनीत सदस्य;
  - मानद सदस्य;

#### शासी परिषद की वर्तमान संरचना (नवंबर, 2022 के उपरांत)

|     |   |
|-----|---|
| 1.  | सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय- अध्यक्ष   |
| 2.  | अपर सचिव और वित्त सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय                               |
| 3.  | अपर सचिव (ऑटो), भारी उद्योग मंत्रालय  |
| 4.  | कार्यात्मक सदस्य, एनएबी   |
| 5.  | अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)               |
| 6.  | अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)               |
| 7.  | निदेशक (एमकेटी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)             |
| 8.  | अध्यक्ष, स्केल समिति  |
| 9.  | प्रबंध निदेशक और सीईओ, कन्वर्जेंस एनजी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल)             |
| 10. | निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय और निदेशक (एफपीसीएल), एनएबी, (सदस्य सचिव, एनएबी) |
| 11. | प्रबन्धक निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय और निदेशक (ओएडीएम), एनएबी               |
| 12. | अध्यक्ष, सियाम  |
| 13. | अध्यक्ष, एसीएमए   |
| 14. | अध्यक्ष टीएमए   |
| 15. | अध्यक्ष, एआरएआई   |
| 16. | डॉ. अनीश शाह, सीईओ और प्रबंध निदेशक, महिंद्रा समूह                            |
| 17. | श्री शैलेश चंद्रा, प्रबंध निदेशक, टाटा मोटर्स                                 |
| 18. | श्री सौमित्र भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक, बॉश लिमिटेड                           |
| 19. | श्री दीपक जैन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ल्यूमैक्स                           |

|     |  |
|-----|--|
| 20. | श्री गोपाल महादेवन, निदेशक, स्ट्रैटेजिक वित्त, अशोक लीलैंड |
| 21. | श्री कवन मुख्यायार   |
| 22. | निदेशक – आईकैट   |
| 23. | निदेशक – नैट्रैक्स   |
| 24. | निदेशक – जीएआरसी   |

5. सोसायटी के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथाअनुमोदित कर्मी संख्या पच्चीस है, जिसमें संयुक्त सचिव के स्तर पर तीन सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
6. सोसायटी की भूमिका और प्रमुख कार्यों को इसके नियमों और विनियमों में निम्नानुसार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है:
- i. **प्रमुख कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ परीक्षण केंद्रों के कामकाज का प्रशासन, अनुबीक्षण, समन्वय, विनियमन और तारतम्य स्थापित करना, क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, परीक्षण केंद्रों द्वारा एनएबी को प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण और होमोलोगेशन प्रमाण-पत्र जारी करना। ऑटो नीति से संबंधित मुद्दों के लिए सलाह, तकनीकी इनपुट और सचिवालय सहायता प्रदान करने हेतु तकनीकी डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता का भंडार बनाना, ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण आदि के क्षेत्र में कौशल सेट और दक्षताओं का विकास करना।
  - ii. **मुख्य कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीतियां तैयार करना और परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन करना, ऑटोमोबिल क्षेत्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित पहलों और समग्र मुद्दों की देखभाल करना, नए वाहन मूल्यांकन कार्यक्रम (एनवीएपी) की डिजाइन और प्रशासन, ऑटोमोटिव क्षेत्र से संबंधित डेटा के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना और विश्लेषण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ सड़क सुरक्षा बोर्ड के साथ सहयोग करना, उपकर निधि परियोजनाओं, परीक्षण सुविधा आयोजना, परीक्षण केंद्र की तैयारी के लिए उन्नयन और विस्तार, परीक्षण केंद्र सह-संबंध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समन्वय करना करना शामिल हैं। परीक्षण संबंधी किसी भी विवाद के लिए अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करना, उभरती मोटर वाहन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में जनशक्ति क्षमता का विकास करना, उद्योग और शिक्षा (एमओयू और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विनियम कार्यक्रम) के साथ विनियम का सशक्तिकरण और संवर्धन करना।
  - iii. **सुविधा प्रदानकारी कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वाहनों और संघटकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड के रूप में कार्य करना और प्रत्यायित परीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर वाहनों और संघटकों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करना, विनियमों के अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य को अपनाने के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन, मानकों, जनहितकारी सूचना का विनियमन और प्रकाशन, ऑटोमोटिव के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विनियामक प्रणाली का संवर्धन शामिल हैं।
  - iv. इसके अलावा, एनएबी, एनएटीआईएस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखेगा।
7. एनएबी 2021 में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के पूरा होने के बाद, नैट्रिप के तहत विकसित निम्नलिखित परीक्षण केंद्रों की निगरानी और प्रशासन कर रहा है। ये केंद्र अब पूरी तरह कार्यात्मक हैं। एनएबी के तहत परीक्षण केंद्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

I. इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट), मानेसर, हरियाणा: इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट) राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी), भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक अग्रणी विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, प्रमाणन, होमोलोगेशन और अनुसंधान व विकास सेवा प्रदाता केंद्र है। आईकैट को मोटर वाहन और उसके घटकों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सीएमवी नियम 126 के तहत एक अधिकृत परीक्षण एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने आईकैट को उत्सर्जन और ध्वनि प्रकार अनुमोदन और जनरेटर सेटों के सीओपी के लिए एक अधिकृत परीक्षण केंद्र के रूप में अधिसूचित किया है। नियामक परीक्षणों के अलावा, आईकैट ऑटोमोटिव और गैर-ऑटोमोटिव विकास के सभी क्षेत्रों में उद्योग को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे- पावरट्रेन, शोर कंपन और कठोरता, संघटक, फटीग, फोटोमिट्री, टायर और पहिया, निष्क्रिय सुरक्षा, ईएमसी, सीएडी और सीएई।




आईकैट परिसर-1, मानेसर

- i) यह केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:
- शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)
  - संघटक विकास



शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)

- ii) हेलमेट उद्योग (भारतीय और विदेशी) के साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को समर्थन देने के उद्देश्य से आईएस 4151: 2015 के अनुसार मोटर चालित 2 व्हीलर उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षात्मक हेलमेट के परीक्षण और प्रमाणन के लिए आईकैट-सेंटर 1 के कंपोनेंट्स टेस्ट लैब (सीटीएल) द्वारा समर्पित परीक्षण सुविधाएं वर्ष 2021 में स्थापित की गई थीं।



- iii) जन भागीदारी के लिए 13 जनवरी, 2022 को 'हेलमेट परीक्षण प्रौद्योगिकी' पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम 10 जनवरी, 2022 से 16 जनवरी, 2022 की अवधि के बीच भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित घ्याजादी का अमृत महोत्सव" सप्ताह के एक भाग के रूप में आईकैट द्वारा आयोजित सूचनात्मक और शैक्षिक वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा था।



हेलमेट परीक्षण प्रौद्योगिकी पर वेबिनार

- iv) समग्र ऑटोमोटिव सुरक्षा के तहत व्हील रिम्स के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, एमएचआई की पहल म.ह. अनलाइन पोर्टल, उद्योग के लाभ के लिए आईकैट द्वारा विकसित अॉनलाइन पोर्टल, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (एस्पायर) को ध्यान में रखते हुए, आईकैट ने 25 अगस्त, 2021 को 'व्हील रिम टेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी' पर एक वेबिनार का आयोजन किया था। इस वेबिनार का उद्देश्य व्हील रिम उद्योग के साथ-साथ अन्य हितधारकों ओईएम, सलाहकार आदि के बीच जागरूकता बढ़ाना था।

(v) 'सभी महिलाएं अविश्वसनीय हैं और आईकैट को उनमें से कुछ पर गर्व है'। वर्ष 2022 में आईकैट, मानेसर ने मानेसर में अपने केंद्र सुविधा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। व्यावसायिक यात्रा में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ और कार्य-जीवन संतुलन पर मार्गदर्शन विषय पर दो सत्र आयोजित किए गए। एक दिन तक चलने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता जिसमें सुबह का सत्र शामिल था, श्रीमती आरती भटनागर-एएस और एफए-एमएचआई ने की और दोपहर के सत्र की अध्यक्षता डॉ. रेणुका मिश्रा-आर्थिक सलाहकार, एमएचआई ने की।



(vi) टीम आईकैट ने "आजादी का अमृत महोत्सव" के तत्वावधान में "हर घर तिरंगा" अभियान मनाया। यह अभियान लोगों को तिरंगे को घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर को चिह्नित करने के लिए, आईकैट ने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ खुशी और गर्व के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है।



II. **वैश्वक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र ( जीआरसी ) चेन्नई, तमில்நாடு:** वैश्वक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र (जीआरसी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक प्रमुख परीक्षण एजेंसी है जो व्यापक परीक्षण, सत्यापन और प्रमाणन के माध्यम से मोटरवाहन उद्योग को आगे बढ़ाने को समर्पित है। जीएआरसी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित, सीएमवी नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण केंद्रों में से एक है। जीएआरसी ने सीएमवीआर के अनुसार उद्योगों को संघटकों के लिए टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास पारितंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, जीएआरसी वाहनों और उनके घटकों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से कई प्रकार की सेवा सुविधाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय- दोनों विनियमों के साथ ऑटोमोबिल की समग्र विश्वसनीयता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मूल्यांकन, उत्सर्जन परीक्षण और निष्पादन आकलन शामिल हैं।



जीएआरसी, चेन्नई

- i) केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उक्तकृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:
- विद्युत-चुम्बकीय अंतःक्षेप और विद्युत-चुम्बकीय संगतता (ईएमसी/ईएमआई)
  - उन्नत निष्क्रिय सुरक्षा (एपीएसएल)
  - इन्फोट्रॉनिक्स



ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला

- ii) जीएआरसी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी लैबोरेटरी (ईएमसी लैब) के तहत, दो घटक सेमी-एनेकोनिक चैर्बर्स (सीएसएसी) की स्थापना और उद्घाटन श्री अरुण गोयल, (आईएएस) माननीय सचिव, भारी उद्योग द्वारा 20.09.2021 को किया गया था।



- iii) जीएआरसी ने मार्च 2022 में मेसर्स सेम ड्यूट्ज-फार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उसके इंजन के लिए भारत (टर्म) III-A उत्सर्जन प्रकार की स्वीकृति जारी किया। मेसर्स सेम ड्यूट्ज-फार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसडीएफ) को उनके इंजन परिवार F6.MC3037TA के लिए भारत (टर्म) III-A, उत्सर्जन-प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।



- iv) आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्षों और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गैरवशाली इतिहास का जश्न मनाने और स्मरण करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में सभी प्रगतिशील बातों का प्रतीक है। वर्ष 2022 के दौरान जीएआरसी ने विभिन्न वेबिनार, सेमिनार आयोजित किए और स्थानीय स्कूल का दौरा किया और जीएआरसी में छात्रों के दौरे की व्यवस्था की।

III. **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक (नैट्रेक्स-इंदौर) :** नैट्रेक्स केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम संख्या 126 के तहत एक अधिसूचित परीक्षण एजेंसी है। नैट्रेक्स नैट्रिप के तहत अत्याधुनिक ऑटोमोटिव परीक्षण, अनुसंधान और विकास तथा प्रमाणन केंद्रों में से एक है। नैट्रेक्स के पास व्यापक परीक्षण सुविधा है और यह ऑटोमोटिव उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर वाहन गतिशीलता, प्रमाणन और अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के विकास के लिए परीक्षण ट्रैक और वाहन गतिकी प्रयोगशाला (वीडीवाई), जो उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के साथ में विकसित हुई है, इन जैसी अपनी जमीनी सुविधाओं के माध्यम से एकल केंद्र समाधान प्रदान करता है। नैट्रेक्स प्रूफिंग ग्राउंड्स भारतीय और वैश्विक मानकों के अनुसार 2/3 पहिया वाहनों से लेकर भारी वाणिज्यिक वाहनों तक सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए विश्वस्तरीय व्यापक वाहन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करता है। नैट्रेक्स भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के परीक्षण, प्रमाणन और विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं भी स्थापित कर रहा है। नैट्रेक्स देश में सड़क सुरक्षा बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए क्रैश बैरियर परीक्षण सुविधा स्थापित करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया है। इसी तरह, सड़क सुरक्षा के लिए एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (एडीएएस) सुविधाओं का परीक्षण भी शुरू हो गया है।





नैट्रेक्स, इंदौर

- i) केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:
- वाहन गतिकी (वीडीवाई)




वाहन गतिकी (वीडीवाई)

- ii) नैट्रेक्स इंदौर में हाई-स्पीड ट्रैक का उद्घाटन 29 जून 2021 को श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना और प्रसारण, तथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा, श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री, भारत सरकार, माननीय मंत्री औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव एवं श्री. अरुण गोयल आईएएस, सचिव डीएचआई की गरिमामार्डि उपस्थिति में किया गया। हाई-स्पीड ट्रैक एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है।



- iii) 14-29 सितंबर 2021 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें नैट्रेक्स में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए निबंध लेखन, एक्सट्रेम्पोर आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- (iv) टीम नैट्रेक्स द्वारा संविधान दिवस मनाया गया और भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तावना पढ़ने का सीधा प्रसारण सभी कर्मचारियों द्वारा देखा गया। एक प्रस्तावना दीवार तैयार की गई और सभी कर्मचारियों ने संविधान के सम्मान और पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए दीवार पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम के बाद, डीएआरपीजी द्वारा 'संविधानिक मूल्यों और मौलिक सिद्धांतों' पर आयोजित वर्चुअल वेबिनार में कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, पूरे वर्ष 2021-22 संविधान का जश्न मनाने के लिए प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।



संविधान दिवस समारोह-नैट्रेक्स



टेस्ट ट्रैक्स (नैट्रेक्स)

- IV. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव निरीक्षण, अनुरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएआईएमटी-सिलचर):** एनआईएआईएमटी-सिलचर असम राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित है। एनआईएआईएमटी पूर्वोत्तर और देश के पूर्वी भाग का एकमात्र केंद्र है। एनआईएआईएमटी-सिलचर के क्रमशः जाफिरबॉन्ड और ढोलचेरा में 20 एकड़ और 60 एकड़ के दो परिसर हैं। इसकी तीन प्रमुख गतिविधियां (1) ऑटोमोटिव ड्राइविंग प्रशिक्षण (2) यांत्रिकी प्रशिक्षण और (3) स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण के क्षेत्र में हैं।



जाफिरबॉन्ड परिसर

- i) इसका अधिकांश बुनियादी ढांचा जाफिरबॉन्ड में स्थित है। ढोलचेरा की सुविधा में 1 किमी लंबा पहाड़ी ट्रैक है। एनआईएआईएमटी वर्ष 2011 से स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण सुविधा के साथ चालू हुआ, शेष सुविधा 2013 में पूरी हुई।
- ii) ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआई) जो कि ऑटोमोटिव ड्राइविंग प्रशिक्षण का हिस्सा है, ने एलएमवी फ्रेशर प्रशिक्षण, एचएमवी के लिए शुरुआती पाठ्यक्रम और भारी मोटर वाहन चालक और विशेष कार्यक्रमों के लिए पुनर्शर्चर्या प्रशिक्षण के लिए स्व-प्रायोजित और अन्य प्रायोजित श्रेणी के तहत नियमित ड्राइविंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एलएमवी श्रेणी में प्रशिक्षित कुल उम्मीदवार 400, एचएमवी श्रेणी में 22 और पुनर्शर्चर्या श्रेणी में 5 हैं।
- iii) कछार जिले के लिए सफलतापूर्वक, राज्य सरकार के संबंध में 350 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन – असम के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 50 युवाओं को कवर करते हुए ड्राइविंग में कौशल प्रशिक्षण पूरा किया गया। कुल 250 उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षित किया गया।



कक्षा प्रशिक्षण (डीटीआई)-सिलचर

- iv) जेके टायर और इसके प्रायोजित अनुसंधान संस्थान के 8 शीर्ष अधिकारियों के लिए एचएमवी श्रेणी के तहत विशेष कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे हरि शंकर सिंघानिया इलास्टोमर एंड टायर रिसर्च इंस्टीट्यूट (HASETRI) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में सफलतापूर्वक पूरा किया।



प्रशिक्षण सत्र

8. एनएबी के सभी परीक्षण केंद्र पूरी तरह कार्यात्मक और आत्मनिर्भर हैं तथा उद्योग को विश्व स्तरीय परीक्षण, होमोलोगेशन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा अपने परिचालन राजस्व से अधिशेष उत्पन्न कर रहे हैं।
9. सोसाइटी वर्तमान में अपने सभी परीक्षण केंद्रों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) के लिए परीक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह प्रयास मोटर वाहन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

**N A B**

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



# वित्तीय सूचना 2019-2020



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

**तुलनपत्र**

31 मार्च, 2020 को

(राशि ₹ में)

| कॉर्पस/पूंजी निधि एवं देयताएं  | अनुसूची | राशि (₹)<br>31.03.2020 को | राशि (₹)<br>31.03.2019 को |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| कॉर्पस/पूंजी निधि  | 1       | -                         | -                         |
| आरक्षित और अधिशेष  | 2       | -                         | -                         |
| निर्धारित/बंदोबस्ती निधि   | 3       | 12,97,31,316              | -                         |
| सुरक्षित ऋण और उधार  | 4       | -                         | -                         |
| असुरक्षित ऋण और उधार   | 5       | -                         | -                         |
| आस्थगित ऋण देयताएं   | 6       | -                         | -                         |
| वर्तमान देयताएं और प्रावधान  | 7       | 9,34,09,232               | 24,92,83,972              |
| कुल  |         | <b>22,31,40,548</b>       | <b>24,92,83,972</b>       |
| संपत्तिया  |         | राशि (₹)<br>31.03.2020 को | राशि (₹)<br>31.03.2019 को |
| अचल संपत्तियां   | 8       | 26,551                    | 33,002                    |
| निवेश-निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से  | 9       | -                         | -                         |
| निवेश-अन्य   | 10      | -                         | -                         |
| वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि।   | 11      | 22,31,13,997              | 24,92,50,970              |
| विविध व्यय<br>(जहां तक बढ़े खाते में नहीं डाला गया है या<br>समायोजित नहीं किया गया है) |         | -                         | -                         |
| कुल  |         | <b>22,31,40,548</b>       | <b>24,92,83,972</b>       |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां   | 24      |                           |                           |
| आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स  | 25      |                           |                           |

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए  
(चार्टर्ड अकाउटेंट )

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

(सीए. मुकेश छाजेड़ )

एम. नं.: 096778

यूडीआईएन: 24096778BKCBP9769

(अवर सचिव )

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

## आय एवं व्यय लेखों का विवरण

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

| आय   | अनुसूची | राशि (₹)<br>31.03.2020 को | राशि (₹)<br>31.03.2019 को |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| <b>आय</b>  |         |                           |                           |
| बिक्री/सेवाओं से आय  | 12      | -                         | -                         |
| अनुदान/सब्सिडी (एएस-12 के अनुसार आस्थानित आय)                                  | 13      | 1,13,68,830               | 28,41,409                 |
| शुल्क/सदस्यता  | 14      | -                         | -                         |
| निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/अनुदानित निधि से, निधियों में स्थानांतरित) | 15      | -                         | -                         |
| रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय.  | 16      | -                         | -                         |
| अर्जित ब्याज   | 17      | -                         | -                         |
| अन्य आय  | 18      | -                         | -                         |
| तैयार माल और प्रगतिशील कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)                         | 19      | -                         | -                         |
| <b>कुल (क)</b>   |         | <b>1,13,68,830</b>        | <b>28,41,409</b>          |
| <b>व्यय</b>  |         |                           |                           |
| स्थापना व्यय   | 20      | 8,113                     | 9,255                     |
| अन्य प्रशासनिक व्यय  | 21      | 1,13,54,266               | 28,23,386                 |
| अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय।   | 22      | -                         | -                         |
| ब्याज  | 23      | -                         | -                         |
| मूल्यहास (वर्ष के अंत में शुद्ध कुल-अनुसूची 8 के अनुरूप)                       | 8       | 6,451                     | 8,768                     |
| <b>कुल (ख)</b>   |         | <b>1,13,68,830</b>        | <b>28,41,409</b>          |
| <b>शेष राशि व्यय पर आय का अधिक होना (क-ख)</b>                                  |         |                           |                           |
| विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)                          |         | -                         | -                         |
| सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण   |         |                           |                           |
| शेष अधिशेष/(घाटा) को कॉर्पस/पूँजी निधि में ले जाया जाता है                     |         | -                         | -                         |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां   | 24      |                           |                           |
| आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स  | 25      |                           |                           |

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए  
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

(सीए. सुकेश छाजेड )  
एम. नं.: 096778  
यूडीआईएन: 24096778BKCZBP9769

दिनांक : 29-05-2024  
स्थान : नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

(अवर सचिव)

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

**तुलन पत्र की अनुसूची**

31 मार्च, 2020 को

**अनुसूची 1 - कॉर्पस/पूंजी निधि**

(गणि ₹ में)

| विवरण   | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| वर्ष के आरंभ में शेष राशि   | -                                | -                                |
| जोड़ें: सरकार से प्राप्त अनुदान।  | -                                | -                                |
| घटाएँ: आस्थगित आय   | -                                | -                                |
| जोड़ें: कॉर्पस/पूंजी निधि में योगदान                                    | -                                | -                                |
| जोड़ें/(घटाएँ) : आय और व्यय खाते से स्थानांतरित शुद्ध आय/ (व्यय) का शेष | -                                | -                                |
| कुल   | -                                | -                                |

**अनुसूची 2- आरक्षित और अधिशेष**

| विवरण                      | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. पूंजी रिजर्व            | -                                | -                                |
| पिछले खातों के अनुसार      | -                                | -                                |
| वर्ष के दौरान वृद्धि       | -                                | -                                |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती | -                                | -                                |
| 2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व:  | -                                | -                                |
| पिछले खातों के अनुसार      | -                                | -                                |
| वर्ष के दौरान वृद्धि       | -                                | -                                |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती | -                                | -                                |
| 3. विशेष रिजर्व            | -                                | -                                |
| पिछले खातों के अनुसार      | -                                | -                                |
| वर्ष के दौरान वृद्धि       | -                                | -                                |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती | -                                | -                                |
| 4. सामान्य रिजर्व          | -                                | -                                |
| पिछले खातों के अनुसार      | -                                | -                                |
| वर्ष के दौरान वृद्धि       | -                                | -                                |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती | -                                | -                                |
| कुल                        | -                                | -                                |

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

## तुलन पत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2020 को

## अनुसूची 3- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि

(राशि ₹ में)

| विवरण   | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |             |              |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>क1 ) अनुसंधान एवं विकास निधि</b>                       |                                  |                                  |             |              |
| क) फंड का प्रारंभिक शेष                                   | -                                | -                                |             |              |
| ख) वर्ष के दौरान वृद्धि                                   | -                                | -                                |             |              |
| i. दान/अनुदान   | -                                | -                                |             |              |
| ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय                    | -                                | -                                |             |              |
| iii. अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)               | -                                | -                                |             |              |
| <b>कुल ( क1 )</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         |             |              |
| <b>ख1 ) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय</b>     |                                  |                                  |             |              |
| i. पूँजीगत व्यय   | -                                | -                                |             |              |
| - अचल संपत्तियां  | -                                | -                                |             |              |
| - अन्य (अनुसंधान एवं विकास हेतु देय व्यय)                 | -                                | -                                |             |              |
| ii. राजस्व व्यय   | -                                | -                                |             |              |
| वेतन, मजदूरी और भर्ते आदि।                                | -                                | -                                |             |              |
| किराया  | -                                | -                                |             |              |
| अन्य प्रशासनिक व्यय                                       | -                                | -                                |             |              |
| <b>कुल ( ख1 )</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         |             |              |
| <b>शुद्ध राशि ( क1-ख1 )</b>                               | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         |             |              |
| <b>क2 ) मांग प्रोत्साहन वितरण तंत्र ( डीआईडीएम ) निधि</b> |                                  |                                  |             |              |
| ( अनुसूची 25 की नोट संख्या 4 देखें )                      |                                  |                                  |             |              |
| क) फंड का प्रारंभिक शेष                                   |                                  | 25,02,62,675                     |             |              |
| ख) वर्ष के दौरान वृद्धि                                   | 99,00,00,000                     | 65,00,00,000                     |             |              |
| घटाएँ: पिछले वर्ष के अनुदान प्राप्त का प्रत्यावर्तन       | 6,16,30,725                      | 92,83,69,275                     | -           | 65,00,00,000 |
| i. दान/अनुदान   |                                  |                                  |             |              |
| ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय                    |                                  |                                  |             |              |
| ii. अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)                |                                  |                                  |             |              |
| ग) डीआईडीएम अनुदान प्राप्त                                |                                  | 6,16,30,725                      |             |              |
| <b>कुल ( क2 )</b>   | <b>92,83,69,275</b>              | <b>96,18,93,400</b>              |             |              |
| <b>ख2 ) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय</b>     |                                  |                                  |             |              |
| i. पूँजीगत व्यय   |                                  |                                  |             |              |
| -अचल संपत्तियां   |                                  |                                  |             |              |
| -अन्य   |                                  |                                  |             |              |
| ii. राजस्व व्यय   |                                  |                                  |             |              |
| वेतन, मजदूरी और भर्ते आदि।                                |                                  |                                  |             |              |
| किराया  |                                  |                                  |             |              |
| अन्य प्रशासनिक व्यय                                       |                                  |                                  |             |              |
| वर्ष के दौरान वितरित डीआईडीएम अनुदान                      | 96,04,24,082                     | 79,31,22,300                     |             |              |
| घटाएँ: पिछले वर्ष देय अनुदान का प्रत्यावर्तन              | 22,93,27,000                     | 73,10,97,082                     | 6,05,55,900 | 73,25,66,400 |
| वर्ष के अंत में देय डीआईडीएम अनुदान                       |                                  | 6,75,40,877                      |             | 22,93,27,000 |
| <b>कुल ( ख2 )</b>   | <b>79,86,37,959</b>              | <b>96,18,93,400</b>              |             |              |
| <b>कुल ( क2-ख2 )</b>                                      | <b>12,97,31,316</b>              |                                  |             |              |
| <b>कुल [ ( क1-ख1 )+( क2-ख2 ) ]</b>                        | <b>12,97,31,316</b>              |                                  |             |              |

## राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

## तुलन पत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2020 को

## अनुसूची 4- सुरक्षित ऋण और उधार

(गशि ₹ में)

| विवरण                        | 31.03.2020 को<br>समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को<br>समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. केन्द्र सरकार             | -                                   | -                                   |
| 2. राज्य सरकार               | -                                   | -                                   |
| 3. वित्तीय संस्थाएँ          | -                                   | -                                   |
| क) सावधि ऋण                  | -                                   | -                                   |
| ख) अर्जित एवं देय ब्याज      | -                                   | -                                   |
| 4. बैंक                      | -                                   | -                                   |
| क) सावधि ऋण                  | -                                   | -                                   |
| ख) अर्जित एवं देय ब्याज      | -                                   | -                                   |
| ग) अन्य ऋण                   | -                                   | -                                   |
| घ) अर्जित एवं देय ब्याज      | -                                   | -                                   |
| 5. अन्य संस्थान और एजेंसियां | -                                   | -                                   |
| 6. डिबेंचर और बांड           | -                                   | -                                   |
| 7. अन्य                      | -                                   | -                                   |
| कुल                          | -                                   | -                                   |

## अनुसूची 5- असुरक्षित ऋण और उधार

| विवरण                        | 31.03.2020 को<br>समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को<br>समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. केन्द्र सरकार             | -                                   | -                                   |
| 2. राज्य सरकार               | -                                   | -                                   |
| 3. वित्तीय संस्थाएँ          | -                                   | -                                   |
| 4. बैंक                      | -                                   | -                                   |
| क) सावधि ऋण                  | -                                   | -                                   |
| ख) अन्य ऋण                   | -                                   | -                                   |
| 5. अन्य संस्थान और एजेंसियां | -                                   | -                                   |
| 6. डिबेंचर और बांड           | -                                   | -                                   |
| 7. फिक्स्ड डिपॉजिट           | -                                   | -                                   |
| 8. अन्य                      | -                                   | -                                   |
| कुल                          | -                                   | -                                   |

## अनुसूची 6- आस्थगित ऋण देयताएं

| विवरण  | 31.03.2020 को<br>समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को<br>समाप्त वर्ष के लिए |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| क) पूँजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्ति के बंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृति |                                     |                                     |
| ख) अन्य  |                                     |                                     |
| कुल  |                                     |                                     |

## राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

## तुलन पत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2020 को

## अनुसूची 7- वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(राशि ₹ में)

| विवरण   | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>क. वर्तमान देयताएं</b>   |                                  |                                  |
| 1. स्वीकृतियां  |                                  | -                                |
| 2. विविध लेनदार   |                                  | -                                |
| क) माल के लिए   |                                  | -                                |
| ख) अन्य   | 35,09,924                        | 43,200                           |
| 3. अग्रिम राशि प्राप्त हुई  |                                  | -                                |
| 4. ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं  |                                  | -                                |
| क) सुरक्षित ऋण/उधार   |                                  | -                                |
| ख) असुरक्षित ऋण/उधार  |                                  | -                                |
| 5. वैधानिक दायित्व  |                                  | -                                |
| क) अतिरेक   |                                  | -                                |
| ख) अन्य   | 3,89,992                         | 4,800                            |
| 6. अन्य चालू देयताएं  |                                  |                                  |
| क) अनुसंधान एवं विकास व्यय हेतु देय अनुदान  |                                  |                                  |
| ख) देय व्यय   | 66,080                           | 33,040                           |
| ग) अर्जित ब्याज जो भारत सरकार को देय है (अनुसूची 25 की नोट संख्या 2 देखें)                    | 94,76,586                        | 60,81,329                        |
| <b>कुल ( क )</b>  | <b>1,34,42,582</b>               | <b>61,62,369</b>                 |
| <b>ख. प्रावधान</b>  |                                  |                                  |
| 1) कराधान के लिए  |                                  | -                                |
| 2) ग्रेचुटी   |                                  | -                                |
| 3) सेवानिवृत्ति/पेंशन   |                                  | -                                |
| 4) संचित अवकाश नकदीकरण  |                                  | -                                |
| 5) व्यापार वारंटी/दावे  |                                  | -                                |
| 6) वर्ष के अंत में देय डीआईडीएम अनुदान के लिए प्रावधान  | 6,75,40,877                      | 22,93,27,000                     |
| <b>कुल ( ख )</b>  | <b>6,75,40,877</b>               | <b>22,93,27,000</b>              |
| ग. अन्य परियोजना अनुदान (स्थापना और बुनियादी ढांचा व्यय [अनुसूची 25 की नोट संख्या 3 देखें ] ) |                                  |                                  |
| प्रारंभिक जमा   | 1,37,94,603                      | 1,66,36,012                      |
| वर्ष के दौरान वृद्धि  | 1,00,00,000                      | -                                |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान व्यय   | 1,13,68,830                      | 28,41,409                        |
| <b>कुल ( ग )</b>  | <b>1,24,25,773</b>               | <b>1,37,94,603</b>               |
| <b>कुल ( क+ख+ग )</b>  | <b>9,34,09,232</b>               | <b>24,92,83,972</b>              |

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड  
अचल संपत्तियों की अनुसूची  
31 मार्च, 2020 को

अनुसूची-8

(राशि ₹ में)

| विवरण  | सकल ब्लॉक               |                         |                        | मूल्यहस्त                |                        |                            | नेट ब्लॉक     |               |               |               |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | लगत/मूल्यकन<br>आधार में | वर्ष के दौरान<br>बुद्धि | वर्ष के दौरान<br>कटौती | अंत में लागत/<br>मूल्यकन | वर्ष की शुल्कात<br>में | वर्ष के दौरान<br>बुद्धि पर |               |               |               |               |
| <b>क. अचल संपत्ति</b>                            |                         |                         |                        |                          |                        |                            |               |               |               |               |
| 1. भूमि  | -                       | -                       | -                      | -                        | -                      | -                          | -             | -             | -             | -             |
| क) फ्रीहोल्ड                                     | -                       | -                       | -                      | -                        | -                      | -                          | -             | -             | -             | -             |
| ख) पट्टाधात                                      | -                       | -                       | -                      | -                        | -                      | -                          | -             | -             | -             | -             |
| <b>2. इमारतें:</b>                               |                         |                         |                        |                          |                        |                            |               |               |               |               |
| क) फ्रीहोल्ड भूमि पर                             | -                       | -                       | -                      | -                        | -                      | -                          | -             | -             | -             | -             |
| ख) पट्टे पर दी गई भूमि पर                        | -                       | -                       | -                      | -                        | -                      | -                          | -             | -             | -             | -             |
| ग) स्थानिक वाले फ्लैट/परिसर                      | -                       | -                       | -                      | -                        | -                      | -                          | -             | -             | -             | -             |
| घ) इकाई से संबंधित न होने वाली भूमि पर अधिसंरचना | -                       | -                       | -                      | -                        | -                      | -                          | -             | -             | -             | -             |
| <b>3. प्लॉट मशीनरी और उपकरण</b>                  |                         |                         |                        |                          |                        |                            |               |               |               |               |
| 4. वाहन  | -                       | -                       | -                      | -                        | -                      | -                          | -             | -             | -             | -             |
| 5. फर्नीचर फिक्स्चर                              | -                       | -                       | -                      | -                        | -                      | -                          | -             | -             | -             | -             |
| 6. कार्गलय उपकरण                                 | 48,195                  | 48,195                  | 21,199                 | 4,049                    | -                      | -                          | 25,248        | 22,947        | 26,996        | -             |
| 7. कंप्यूटर/उपकरण                                | 69,511                  | 69,511                  | 63,505                 | 2,402                    | -                      | -                          | 65,907        | 3,604         | 6,006         | -             |
| 8. विद्युत प्रतिष्ठान                            | -                       | -                       | -                      | -                        | -                      | -                          | -             | -             | -             | -             |
| 9. पुस्तकालय की पुस्तकें                         | -                       | -                       | -                      | -                        | -                      | -                          | -             | -             | -             | -             |
| 10. टचबोल और डब्ल्यूसप्लाई                       | -                       | -                       | -                      | -                        | -                      | -                          | -             | -             | -             | -             |
| 11. अन्य अचल संपत्तियाँ                          | -                       | -                       | -                      | -                        | -                      | -                          | -             | -             | -             | -             |
| चालू वर्ष का कुल योग                             | <b>1,117,706</b>        | <b>1,117,706</b>        | <b>84,704</b>          | <b>6,451</b>             | <b>-</b>               | <b>91,155</b>              | <b>26,551</b> | <b>33,002</b> | <b>41,769</b> | <b>-</b>      |
| पिछले वर्ष                                       | <b>1,117,706</b>        | <b>1,117,706</b>        | <b>75,936</b>          | <b>8,768</b>             | <b>-</b>               | <b>84,704</b>              | <b>33,002</b> | <b>41,769</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| ख. पूँजीगत कार्य प्रगति पर                       |                         |                         |                        |                          |                        |                            |               |               |               |               |
|  |                         |                         |                        |                          |                        |                            |               |               |               | <b>कुल</b>    |
|  |                         |                         |                        |                          |                        |                            |               |               |               | <b>26,551</b> |
|  |                         |                         |                        |                          |                        |                            |               |               |               | <b>33,002</b> |

## राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

## तुलन पत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2020 को

## अनुसूची 9- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश

(राशि ₹ में)

| विवरण                              | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में         | -                                | -                                |
| 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ      | -                                | -                                |
| 3. शेयर                            | -                                | -                                |
| 4. डिबेंचर और बांड                 | -                                | -                                |
| 5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम | -                                | -                                |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)   | -                                | -                                |
| कुल                                | -                                | -                                |

## अनुसूची 10- निवेश-अन्य

| विवरण                              | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में         | -                                | -                                |
| 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ      | -                                | -                                |
| 3. शेयर                            | -                                | -                                |
| 4. डिबेंचर और बांड                 | -                                | -                                |
| 5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम | -                                | -                                |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)   | -                                | -                                |
| कुल                                | -                                | -                                |

## अनुसूची 11- चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि

| विवरण                                    | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ए. वर्तमान परिसंपत्तियां</b>          |                                  |                                  |
| 1. इन्वेंटरी                             |                                  |                                  |
| क) स्टोर और स्पेयर्स                     |                                  |                                  |
| ख) फुटकर उपकरण                           |                                  |                                  |
| ग) स्टॉक इन ट्रैड                        |                                  |                                  |
| - तैयार माल                              |                                  |                                  |
| - काम चालू                               |                                  |                                  |
| - कच्चा माल                              |                                  |                                  |
| 2. विविध देनदार                          |                                  |                                  |
| क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण |                                  |                                  |
| ख) अन्य                                  |                                  |                                  |
| 3. हाथ में नकद शेष                       | 22,870                           | 22,870                           |
| 4. बैंक बैलेंस                           |                                  |                                  |
| क) अनुसूचित बैंकों के साथ                |                                  |                                  |
| - चालू खाता                              |                                  |                                  |
| - जमा खाता                               |                                  |                                  |
| - बचत खाता                               | 22,30,91,127                     | 22,30,91,127                     |
| ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ            |                                  |                                  |
| - चालू खाता                              |                                  |                                  |
| - जमा खाता                               |                                  |                                  |
| - बचत खाता                               |                                  |                                  |
| 5. डाकघर बचत खाता                        |                                  |                                  |
| <b>कुल (क)</b>                           | <b>22,31,13,997</b>              | <b>18,76,20,245</b>              |

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलन पत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2020 को

(राशि ₹ में)

| विवरण   | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ख. ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य</b>  |                                  |                                  |
| 1. ऋण   | -                                | -                                |
| क) कर्मचारी   | -                                | -                                |
| ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएं  | -                                | -                                |
| 2. अग्रिम राशि और अन्य राशियाँ जो प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य हैं: | -                                | -                                |
| क) पूँजी खाते पर  | -                                | -                                |
| ख) पूर्व भुगतान पर  | -                                | -                                |
| ग) डीआईडीएम अनुदान प्राप्त  | -                                | -                                |
| 3. अर्जित आय:   |                                  |                                  |
| क) निधारित/ बंदोबस्ती निधि से निवेश पर  | -                                | -                                |
| ख) निवेश पर   | -                                | -                                |
| ग) ऋण और अग्रिम पर  | -                                | -                                |
| घ) अन्य   | -                                | -                                |
| 4. प्राप्त दावे   | -                                | 6,16,30,725                      |
| कुल ( ख )   | -                                | 6,16,30,725                      |
| कुल ( क+ख )   | 22,31,13,997                     | 24,92,50,970                     |

अनुसूची 12-बिक्री/सेवाओं से आय

| विवरण                              | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. बिक्री से आय</b>             |                                  |                                  |
| क) तैयार माल की बिक्री             | -                                | -                                |
| ख) कच्चे माल की बिक्री             | -                                | -                                |
| ग) स्कैप की बिक्री                 | -                                | -                                |
| <b>2. सेवाओं से आय</b>             |                                  |                                  |
| क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क        | -                                | -                                |
| ख) व्यावसायिक/परामर्श शुल्क        | -                                | -                                |
| ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज        | -                                | -                                |
| घ) रखरखाव सेवाएं ( उपकरण/संपत्ति ) | -                                | -                                |
| ड) अन्य कृपया निर्दिष्ट करें       | -                                | -                                |
| कुल                                | -                                | -                                |

अनुसूची 13-अनुदान/सब्सिडी

| विवरण  | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. केन्द्र सरकार                                     |                                  |                                  |
| 2. राज्य सरकार                                       |                                  |                                  |
| 3. सरकारी एजेंसियाँ                                  |                                  |                                  |
| 4. संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय                         |                                  |                                  |
| 5. अंतरराष्ट्रीय संगठन                               |                                  |                                  |
| 6. आस्थगित अनुदान ( अनुसूची 25 की नोट संख्या 1 देखें | 1,13,68,830                      | 28,41,409                        |
| कुल  | 1,13,68,830                      | 28,41,409                        |

## राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

## तुलन पत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2020 को

## अनुसूची 14- शुल्क/सदस्यता

(राशि ₹ में)

| विवरण                        | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. प्रवेश शुल्क              | -                                | -                                |
| 2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता     | -                                | -                                |
| 3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क   | -                                | -                                |
| 4. परामर्श शुल्क             | -                                | -                                |
| 5. अन्य कृपया निर्दिष्ट करें | -                                | -                                |
| कुल                          | -                                | -                                |

## अनुसूची 15-निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/प्रदान की गई निधि से, निधियों में स्थानांतरित)

| विवरण                     | निर्धारित निधि से निवेश |            | निवेश-अन्य |            |
|---------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
|                           | चालू वर्ष               | पिछले वर्ष | चालू वर्ष  | पिछले वर्ष |
| 1) ब्याज                  | -                       | -          | -          | -          |
| क) सरकारी प्रतिभूतियों पर | -                       | -          | -          | -          |
| ख) अन्य बांड/डिबेंचर      | -                       | -          | -          | -          |
| 2) लाभांश                 | -                       | -          | -          | -          |
| क) शेयरों पर              | -                       | -          | -          | -          |
| ख) म्यूचुअल फंड पर        | -                       | -          | -          | -          |
| 3) किराया                 | -                       | -          | -          | -          |
| 4) अन्य                   | -                       | -          | -          | -          |
| कुल                       | -                       | -          | -          | -          |

## अनुसूची 16- रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

| विवरण            | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. रॉयल्टी से आय | -                                | -                                |
| 2. प्रकाशन से आय | -                                | -                                |
| 3. अन्य          | -                                | -                                |
| कुल              | -                                | -                                |

## अनुसूची 17- अर्जित ब्याज

| विवरण                                 | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 ) सावधि जमा पर                      | -                                | -                                |
| क) अनुसूचित बैंकों के साथ             | -                                | -                                |
| ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ         | -                                | -                                |
| ग) संस्थाओं के साथ                    | -                                | -                                |
| घ) अन्य                               | -                                | -                                |
| 2) बचत खाते पर                        | -                                | -                                |
| क) अनुसूचित बैंकों के साथ             | -                                | -                                |
| ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ         | -                                | -                                |
| ग) संस्थाओं के साथ                    | -                                | -                                |
| घ) अन्य                               | -                                | -                                |
| 3. ऋण पर                              | -                                | -                                |
| क) कर्मचारी/स्टाफ                     | -                                | -                                |
| ख) अन्य                               | -                                | -                                |
| 4. देनदारों और अन्य प्राप्ति पर ब्याज | -                                | -                                |
| कुल                                   | -                                | -                                |

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलन पत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2020 को

अनुसूची 18- अन्य आय

( राशि ₹ में )

| विवरण  | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ           | -                                | -                                |
| क) स्वामित्व वाली संपत्ति                          | -                                | -                                |
| ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त संपत्तियां | -                                | -                                |
| 2. निर्धारित प्रोत्साहन प्राप्त हुआ                | -                                | -                                |
| 3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क                       | -                                | -                                |
| 4. विविध आय  | -                                | -                                |
| कुल  |                                  |                                  |

अनुसूची 19- तैयार माल और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/( कमी )

| विवरण                 | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) समापन स्टॉक        | -                                | -                                |
| क) तैयार माल          | -                                | -                                |
| ख) कार्य प्रगति पर    | -                                | -                                |
| 2. कम प्रारंभिक स्टॉक | -                                | -                                |
| क) तैयार माल          | -                                | -                                |
| ख) कार्य प्रगति पर    | -                                | -                                |
| कुल                   |                                  |                                  |

अनुसूची 20- स्थापना व्यय

| विवरण   | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| क) वेतन एवं मजदूरी  | -                                | -                                |
| ख) भत्ते और बोनस  | -                                | -                                |
| ग) भविष्य निधि में अंशदान                                 | -                                | -                                |
| घ) अन्य निधि में योगदान                                   | -                                | -                                |
| ड) कर्मचारी कल्याण निधि                                   | -                                | -                                |
| च) कर्मचारियों की सेवनिवृत्ति और सेवा समाप्ति लाभ पर व्यय |                                  | 9,255                            |
| छ) अन्य   | 8,113                            |                                  |
| कुल   | 8,113                            | 9,255                            |

## राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

## तुलन पत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2020 को

## अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि ₹ में)

| विवरण   | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| क) खरीदारी                                    | -                                | -                                |
| ख) श्रम एवं प्रसंस्करण व्यय                   | -                                | -                                |
| ग) कार्टेज और कैरिज अंदर की ओर                | -                                | -                                |
| घ) बिजली एवं ऊर्जा                            | -                                | -                                |
| ड) जल प्रभारित                                | -                                | -                                |
| च) बीमा                                       | -                                | -                                |
| छ) मरम्मत और रखरखाव                           | -                                | -                                |
| ज) उत्पाद शुल्क                               | -                                | -                                |
| झ) किराया, दरें                               | -                                | -                                |
| ज) वाहन चलाना और रखरखाव                       | -                                | -                                |
| ट) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क                | -                                | -                                |
| ठ) मुद्रण और स्टेशनरी                         | -                                | -                                |
| ड) यात्रा एवं परिवहन शुल्क                    | -                                | 28,175                           |
| ढ) सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय                  | -                                | -                                |
| ण) सदस्यता व्यय                               | -                                | -                                |
| त) फीस पर व्यय                                | -                                | -                                |
| थ) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक                    | 33,040                           | 33,040                           |
| द) आतिथ्य व्यय                                | -                                | -                                |
| ध) व्यावसायिक प्रभार                          | 73,55,413                        | 8,74,286                         |
| न) खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान       | -                                | -                                |
| प) अप्राप्य शेष राशि बट्टे खाते में डाल दी गई | -                                | -                                |
| फ) पैकिंग शुल्क                               | -                                | -                                |
| ब) माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय                  | -                                | -                                |
| भ) विज्ञापन                                   | -                                | -                                |
| म) बैंक शुल्क                                 | 6                                | 6                                |
| य) पूर्व निगमित व्यय                          |                                  | 1,71,286                         |
| र) कार किराये का शुल्क                        |                                  |                                  |
| ल) सम्मेलन व्यय                               | 15,32,576                        |                                  |
| व) विज्ञापन) प्रदर्शनी व्यय                   |                                  |                                  |
| श) वेबसाइट और सॉफ्टवेयर व्यय                  | 5,50,550                         | 6,36,020                         |
| ष) खाद्य एवं पेय पदार्थ व्यय                  |                                  |                                  |
| स) पूर्व अवधि आइटम                            | 1,37,600                         | 8,66,615                         |
| ह) क्लाउड स्टोरेज खर्च                        | 17,45,081                        | 2,13,958                         |
| कुल   | 1,13,54,266                      | 28,23,386                        |

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलन पत्र की अनुसूची

31 मार्च, 2020 को

अनुसूची 22- अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि ₹ में)

| विवरण                                       | 31.03.2020 को<br>समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को<br>समाप्त वर्ष के लिए |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान      | -                                   | -                                   |
| ख) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी | -                                   | -                                   |
| कुल   | -                                   | -                                   |

अनुसूची 23- ब्याज

| विवरण                           | 31.03.2020 को<br>समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2019 को<br>समाप्त वर्ष के लिए |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| क) निश्चित ऋण पर                | -                                   | -                                   |
| ख) अन्य ऋण पर (बैंक शुल्क सहित) | -                                   | -                                   |
| ग) अन्य                         | -                                   | -                                   |
| कुल                             | -                                   | -                                   |

**प्राप्ति एवं भुगतान लेखा**  
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

|                           | प्राप्ति       | राशि (₹)<br>31.03.2020 को | राशि (₹)<br>31.03.2019 को | भुगतान                  | राशि (₹)<br>31.03.2020 को | राशि (₹)<br>31.03.2019 को |
|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>I. प्रारंभिक शेष</b>   |                |                           |                           |                         |                           |                           |
| क) उपलब्ध शेष             | 22,870         | 22,870                    | 22,870                    | बैंक शुल्क              | 6                         | 6                         |
| ख) बैंक खाते              |                |                           |                           | कार किगणे का शुल्क      | -                         | 27,638                    |
| i) चालू खातों शेष         | -              |                           |                           | - बताउड और स्टोरेज सेवा | 16,58,221                 | 2,13,958                  |
| ii) जमा खातों शेष         | -              |                           |                           | - परमार्श शुल्क         | 31,09,467                 | 8,43,998                  |
| iii) बचत खातों शेष        | 18,75,97,375   | 32,76,83,490              | 32,76,83,490              | सम्मेलन व्यय            | 15,32,576                 | -                         |
|                           |                |                           |                           | प्रोत्साहन खाता         | 72,13,13,082              | 73,25,66,400              |
|                           |                |                           |                           | अनुसंधान एवं विकास व्यय | -                         | -                         |
|                           |                |                           |                           | कार्यालय का व्यय        | 8,113                     | 9,255                     |
|                           |                |                           |                           | वेबसाइट विकास शुल्क     | 5,36,960                  | 6,25,620                  |
|                           |                |                           |                           | पुर्व अवधि व्यय         | 1,37,600                  | -                         |
| <b>II. प्राप्त अनुदान</b> |                |                           |                           |                         |                           |                           |
| क) भारत सरकार को          | 1,00,00,00,000 | 65,00,00,000              | क) भारत सरकार को          | -                       | -                         | -                         |
| <b>III. प्राप्त व्याज</b> |                |                           |                           |                         |                           |                           |
| क) बैंक जमा पर            | 1,49,19,788    | 60,81,075                 | सकार को व्याज हस्तातण     | 1,15,24,531             | -                         | -                         |
|                           |                |                           | देय व्यय                  | 43,200                  | 11,96,773                 |                           |
|                           |                |                           | प्रोत्साहन भुगतान योग्य   | 23,91,11,000            | 6,05,55,900               |                           |
|                           |                |                           | शुल्क और कर               | 4,51,280                | 1,27,642                  |                           |

## राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

### प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का

| प्राप्ति                        | राशि (₹)<br>31.03.2020 को | राशि (₹)<br>31.03.2019 को | भुगतान<br>IV अंतिम शेष | (राशि ₹ में)              |                           |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                 |                           |                           |                        | राशि (₹)<br>31.03.2020 को | राशि (₹)<br>31.03.2019 को |
| क) उपलब्ध योग्य<br>ख) बैंक खाते |                           |                           |                        | 22,870                    | 22,870                    |
| i) चालू खातों में               |                           |                           |                        | -                         | -                         |
| ii) जमा खातों में               |                           |                           |                        | -                         | -                         |
| iii) बचत खाते                   |                           |                           |                        | 22,30,91,127              | 18,75,97,375              |
| <b>कुल</b>                      | <b>1,20,25,40,033</b>     | <b>98,37,87,435</b>       |                        | <b>कुल</b>                | <b>1,20,25,40,033</b>     |
|                                 |                           |                           |                        |                           | <b>98,37,87,435</b>       |

केंद्रीय स्कायस निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीमी छानेड एंड एमोसिएट्स के लिए  
(चार्टर्ड अकाउंटेंट )

(सीए. मुकेश छानेड )  
एम. नं.: 096778  
यूडीआईएन: 24096778BKCCZBP9769

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड  
(अवर सचिव)

## राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

अनुसूची संख्या-24

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

### 1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013 दिनांक 27 अगस्त, 2013 के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में निगमित एक स्वायत्त निकाय है, जिसका विशिष्ट उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई फेम योजना के संचालन और निगरानी के विशिष्ट उद्देश्य से है।

### 2. लेखांकन की विधि

सोसायटी ने लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन किया है। ये वित्तीय विवरण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और लेखांकन मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

### 3. अचल संपत्ति

- सोसायटी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को उनके अधिग्रहण की लागत पर बताया गया है, जिसमें माल दुलाई, शुल्क और कर और अधिग्रहण से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं, जो परिसंपत्तियों को अपने इच्छित उपयोग के लिए काम करने के लिए लाने के लिए किए गए हैं।
- अचल संपत्तियों के निपटान के समय, संपत्ति का बटे खाते में डाला गया मूल्य कम हो जाता है और शेष को आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

### 4. मूल्यहास

क) अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लिखित आधार पर किया गया है।

ख) सरकारी अनुदान से सृजित आस्तियों पर मूल्यहास को संबंधित परिसंपत्तियों पर प्रभासित मूल्यहास की सीमा तक आस्थगित आय माना जाता है और इसे लेखा मानक-12 सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन के अनुसार पूंजी पहुंच पद्धति अपनाते हुए आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

### 5. सरकारी अनुदान

(क) अनुसंधान एवं विकास तथा मांग प्रोत्साहन (डीआईडीएम) के लिए फेम स्कीम के अंतर्गत सरकारी अनुदानों का हिसाब निर्धारित निधि के अंतर्गत किया जाता है। इन अनुदानों से संबंधित व्यय, चाहे वह भुगतान किया गया हो अथवा देय हो, का हिसाब भी निर्धारित निधि के अंतर्गत किया जाता है।

ख) फेम योजना के तहत प्रशासनिक व्यय अर्थात् स्थापना और अवसंरचना निधि के लिए सरकारी अनुदान को 'अन्य परियोजना अनुदान' शीर्ष के तहत दिखाया गया है और इस तरह के अनुदान के अप्रयुक्त शेष को वर्तमान देयता के रूप में माना गया है। इन अनुदानों के प्रति व्यय लेखा मानक-12 के अनुसार लेखांकन सरकारी अनुदानों के अनुसार पूंजीगत दृष्टिकोण मूल्यहास परिसंपत्तियों/व्यय से संबंधित अनुदानों को वर्ष के दौरान किए गए व्यय की सीमा तक आस्थगित आय माना जाता है, जिसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

### 6. प्रावधान

उपलब्ध सूचना के आलोक में अनुमान के आधार पर सभी ज्ञात देयताओं और हानियों के लिए प्रावधानों का हिसाब रखा जाता है।

**अनुसूची संख्या- 25****खातों और आकस्मिक देनदारियों के लिए नोट्स**

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, सोसायटी ने कुल प्रशासनिक व्यय ₹ 1,13,68,830 किया है और जिसे सोसायटी ने एएस-12 के अनुसार ₹ 1,13,68,830 की आस्थगित अनुदान आय बुक की है और तदनुसार इसे स्थापना और बुनियादी ढांचे के खर्चों के लिए अनुदान के तहत आय के रूप में दिखाया गया है।
- समिति ने बचत खाते में पड़ी अधिशेष निधियों पर वर्ष के दौरान बैंक से ₹ 94,76,332 का व्याज अर्जित किया है। पिछले वर्ष देय व्याज ₹ 60,81,329 रुपये था, इसलिए देय कुल राशि ₹ 1,55,57,661 थी। ये अधिशेष निधियां एमएचआई से प्राप्त विभिन्न अनुदानों के माध्यम से थीं। एमएचआई के निर्देशों के अनुसार इसे वापस करना होगा। चालू वर्ष के दौरान समिति ने ₹ 60,81,075 की राशि वापस की है, और इसलिए चालू देयताएं शीर्ष के तहत ₹ 94,76,586 की शेष राशि दिखाई गई है।
- वर्ष के दौरान सोसायटी को स्थापना और बुनियादी ढांचा निधि के तहत ₹ 1,00,00,000 की कोई राशि प्राप्त हुई है। हालांकि, सोसायटी ने चालू वर्ष के दौरान ₹ 1,13,68,830 का व्यय किया है। ₹ 1,37,94,603 के अप्रयुक्त स्थापना और बुनियादी ढांचा निधि पर विचार करने के बाद, वर्ष के अंत में अप्रयुक्त प्रतिष्ठान और बुनियादी ढांचा निधि ₹ 1,24,25,773 है जिसे वर्तमान देनदारियों के तहत 'अन्य परियोजना अनुदान' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान समिति को एमएचआई से मांग प्रोत्साहन वितरण तंत्र (डीआईडीएम) फंड के रूप में ₹ 99,00,00,000 की राशि प्राप्त हुई है, ₹ 6,16,30,725 की प्राप्त डीआईडीएम निधि को समायोजित करने के बाद, वर्ष के दौरान प्राप्त शुद्ध डीआईडीएम फंड ₹ 92,83,69,275 है। जिसमें से सोसायटी ने वर्ष के दौरान ₹ 96,04,24,082 की राशि वितरित की है। आरंभिक डीआईडीएम अनुदान को समायोजित करने के बाद ₹ 22,93,27,000 का देय शुद्ध डीआईडीएम अनुदान वर्ष के दौरान ₹ 73,10,97,082 है। इसके अलावा, दर्ज किए गए दावों के संबंध में, लेकिन वर्ष के अंत में कुल मिलाकर ₹ 6,75,40,877 के अस्वीकृत दावों के संबंध में, इसके लिए प्रावधान किया गया है और वर्तमान देयताओं और प्रावधानों के तहत दिखाया गया है। उपरोक्त समायोजन के बाद वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 92,83,69,275 के उपलब्ध डीआईडीएम फंड से विनियोजित किया जाने वाला कुल डीआईडीएम अनुदान ₹ 79,86,37,959 है, जिसका अर्थ है कि वर्ष के अंत में अप्रयुक्त डीआईडीएम फंड ₹ 12,97,31,316 है।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया जाता है, फिर से व्यवस्थित किया जाता है और वर्तमान आंकड़े को अधिक तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक होता है, फिर से व्यवस्थित किया जाता है और फिर से कास्ट किया जाता है।

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

**डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए**  
( चार्टर्ड अकाउटेंट )

( सीए. मुकेश छाजेड )

एम. नं.: 096778

यूडीआईएन: 24096778BKCZBP9769

**राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड**

( अवर सचिव )

## SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE NATIONAL AUTOMOTIVE BOARD, MANESAR FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

We have audited the attached Balance Sheet of National Automotive Board (NAB) as at 31 March 2019, and the Income and Expenditure Account and Receipt and Payment Account for the year ended on that date, under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Clause 21.3 of the Rules & Regulations (Bye-laws) of the National Automotive Board. The Audit of the Board has been entrusted to the Comptroller and Auditor General of India for the period up to 2025-26. These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment with respect to classification, conformity with best accounting practices, accounting standards and disclosure norms. Other significant audit observations with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency cum performance aspects etc. are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with the accounting standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. Audit includes examining on test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Government for Central Autonomous Bodies.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant record have been maintained by National Automotive Board as required under Clause 21.2 of the Rules and Regulations of the Board in so far as it appears from our examination of such books.
- (iv) We further report that:

### Comments on Accounts

#### A. General Comments

- A.1** Rule 237 of General Financial Rules, 2017 stipulates that approved and authenticated annual accounts should be made available by the Autonomous Bodies to the concerned Audit Office by 30th June. However, NAB had submitted its accounts for the year 2019-20

for Audit only in October 2023. Further, in view of the comments included in the SAR for the year 2014-15 as issued in February 2024. NAB recast its accounts for the years 2014-15 to 2022-23 as pre recommendations of its Board in a meeting held on 28 February 2024. The recast annual accounts for the period 2014-15 to 2022-23 were submitted by NAB for Audit on 24 July 2024.

The fact regarding recasting of accounts on the basis of audit observations and the impact thereof has not been disclosed in the Notes to Accounts.

**A.2** The impact of recasting of annual accounts for the year 2019-20 by NAB is as under:

- (i) **Balance sheet:** Corpus Fund decreased by ₹ 2,135.99 lakh. Earmarked/ Endowment Fund increased by ₹ 1,297.31 lakh, Current Liabilities and Provisions increased by ₹ 838.67 lakh and Total Assets decreased by ₹ 0.01 lakh.
- (ii) **Income and Expenditure Account:** Total Income decreased by ₹ 9,886.31 lakh, Total Expenditure decreased by ₹ 7,174.14 lakh and Surplus in Income and Expenditure Account decreased by ₹ 2,712.17 lakh.

**A.3** As per Clause 15.3(b) of the Rules and Regulations of NAB, the Governing Council shall hold at least one meeting within every six months at such time and place as the Chairman may determine. However, during the year 2019-20, only one meeting of Governing Council was held.

#### B. Grants-in-aid

The position of receipt and utilisation of grants-in-aid by NAB during the year 2019-20 was as under:

| (₹ in lakh)                        |  |                       |                 |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Particulars</b>                 | <b>Establishment<br/>and Infra Grant</b> | <b>DIDM<br/>Grant</b> | <b>Total</b>    |
| Balance as on 1 April 2019         | 137.62                                   | -                     | 137.62          |
| Grants received during the year    | 100.00                                   | 9,283.69              | 9,383.69        |
| Grants utilised during the year    | 113.62<br>(See Footnote <sup>1</sup> )   | 7,986.38              | 8,100.00        |
| <b>Balance as on 31 March 2020</b> | <b>124.00</b>                            | <b>1,297.31</b>       | <b>1,421.31</b> |

<sup>1</sup> Amount utilised against 'Establishment and Infra Grant' comprises Establishment expenses of ₹ 0.08 lakh and Other Administrative Expenses of ₹ 113.54 lakh.

Besides, NAB earned an interest of ₹94.76 lakh on grants-in-aid during the year 2019-20.

### C. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of NAB through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

- (v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Account, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in **Annexure 1** to this Audit Report, give a **true and fair** view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
  - (a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Automotive Board, Manesar as at 31 March 2020; and
  - (b) In so far as it relates to the Income and Expenditure account, of the Surplus/Deficit for the year ended on that date.

**For and on behalf of the  
Comptroller and Auditor General of India**

**Place: New Delhi**

**Dated: 10 JAN 2025**



**(S. Ahmadini Panda)**  
**Director General of Audit**  
**Industry & Corporate Affairs**

**Annexure 1 to Separate Audit Report****1. Adequacy of Internal Audit System**

There was no internal audit system in NAB, and internal audit was not conducted during the year 2019-20.

**2. Adequacy of Internal Control System**

The internal control system in NAB was inadequate and not commensurate with the size of the organization. NAB received grants and incurred expenditure during the FY 2019-20. However, NAB was not manned by regular manpower, and the activities of NAB were being looked after by the officers/officials from the Department of Heavy Industry (DHI), now Ministry of Heavy Industries, in addition to their respective charges in DHI.

**3. System of physical verification of Fixed Assets**

NAB did not conduct physical verification of fixed assets during the year 2019-20.

**4. System of physical verification of inventory**

NAB did not have any inventory during the year 2019-20

**5. Regularity in payment of statutory dues**

NAB was regular in payment of undisputed statutory dues during 2019-20.

Director (AMG-III)

| क्र.सं | सीएंडजी की टिप्पणियां   | एनएबी का स्पष्टीकरण   |
|--------|---|---|
| क.1    | <p>सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 में प्रावधान है कि स्वायत्त निकायों द्वारा अनुमोदित और प्रमाणित वार्षिक खाते 30 जून तक संबंधित लेखा परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए। हालाँकि, एनएबी ने वर्ष 2019-20 के अपने खाते अक्टूबर 2023 में ही ऑडिट के लिए प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा, फरवरी 2024 में जारी वर्ष 2014-15 के लिए एसएआर में शामिल टिप्पणियों के महेनजर। एनएबी ने 28 फरवरी 2024 को आयोजित बैठक में अपने बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2022-23 के लिए अपने खातों को फिर से तैयार किया। 2014-15 से 2022-23 की अवधि के लिए पुनर्गठित वार्षिक खाते एनएबी द्वारा 24 जुलाई, 2024 को ऑडिट के लिए प्रस्तुत किए गए।</p> <p>लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर खातों के पुनर्रचना और उसके प्रभाव से सम्बंधित तथ्य को लेखा टिप्पणियों में नहीं लिया गया है।</p> | <p>वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए एनएबी के खाते फरवरी 2020 में सीएंडजी को सौंप दिए गए थे। वर्ष 2013-14 के लिए एनएबी के खातों पर ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) 6 नवंबर 2020 को जारी की गई थी, इस बीच कोविड-19 महामारी, नैटिस के समापन और समामेलन प्रक्रिया (जो फरवरी 2023 में पूरी हुई) के कारण, वित्त वर्ष 2013-14 के लिए एनएबी के वार्षिक खाते संसद में नहीं रखे जा सके।</p> <p>सरकारी आदेश के अनुसार, भारत में विश्व स्तरीय परीक्षण अवसरंचना के निर्माण के लिए नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैटिस) की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, परियोजना के पूरा होने के बाद, एमएचआई के दिनांक 17.03.2021 के आदेश अनुसार, एनएबी ने नैटिस को अपने अधीन ले लिया। आदेश के अनुसार, एनएबी ने सचिवालय नैटिस के सहयोग से अपना संचालन शुरू किया और नैटिस के तहत बनाए गए जीएआरसी, एनएटीआरएएक्स, आईसीएटी आदि कंप्रों का प्रशासन अपने अधीन ले लिया।</p> <p>इससे पहले, एनएबी का कार्य फेम योजना के तहत प्रोत्साहनों का भुगतान जारी करने तक ही सीमित था। इन योजनाओं का प्रबंधन एमएचआई (पहले डीएचआई) के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था और एनएबी को निधि का वितरण पीएओ, एमएचआई के माध्यम से किया जा रहा था। एनएबी ने नैटिस के एनएबी में विलय के बाद सोसायटी के रूप में अपना पूर्ण कामकाज शुरू किया और नैटिस के सचिवालय ने एनएबी की गतिविधियों एवं कामकाज अपने हाथों में ले लिया।</p> <p>इसके अलावा, वर्ष 2014-15 से 2017-18 के खातों की लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसरण में, एनएबी ने वर्ष 2014-15 से 2017-18 के वार्षिक खातों को फिर से तैयार किया और उन्हें 4 अक्टूबर 2023 को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया। वर्ष 2014-15 के लिए पुनर्गठित खातों पर एसएआर 21 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। एसएआर में शामिल टिप्पणियों के महेनजर, एनएबी ने 28 फरवरी 2024 को एमएचआई में सीएंडजी अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2022-23 के लिए अपने खातों को फिर से तैयार किया। 2014-15 से 2022-23 की अवधि के लिए पुनर्गठित वार्षिक खाते 24 जुलाई 2024 को जीसी की ताजा मंजूरी के बाद सीएंडजी ऑडिट के लिए एनएबी द्वारा प्रस्तुत किए गए।</p> |

|     |  |
|-----|--|
|     | <p>विलय के बाद, एनएबी के वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे के वार्षिक लेखों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पिछली टिप्पणियों के अनुसार पुनः तैयार किया गया है तथा अंतिम टिप्पणियों के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अब, सीएणडएजी ने 10.01.2025 को वित्त वर्ष 2020-21 तक के लिए अंतिम एसएआर को “सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण” के रूप में जारी किया है। वित्त वर्ष 2013-14 और 2018-19 के लिए ये वार्षिक खाते सीएणडएजी रिपोर्ट के साथ 22.11.2024 और 13.12.2024 को जीसी और एजीएम, एनएबी के अनुमोदन के अनुसार शीतकालीन सत्र, 2024 में संसद के दोनों सदनों में रखे/प्रस्तुत किए गए हैं।</p> <p><b>उपरोक्त विलम्ब निम्नलिखित कारणों से हुआ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार खाते तैयार नहीं किए गए थे।</li> <li>(ii) भारत में कोविड-19 महामारी, जो कि मार्च, 2020 से शुरू हुई।</li> <li>(iii) नैटिस का एनएबी के साथ विलय प्रक्रियाधीन था।</li> </ul> <p>खातों के पुनर्रचना के संबंध में, यह भी सूचित किया जाता है कि बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते एवं खाते के नोटों के अंतिम पृष्ठ पर, यह उल्लेख किया गया है कि वार्षिक खाते “केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप में संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित हैं”</p> |
| क.2 | <p>एनएबी द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लेखों के पुनर्रचना का प्रभाव निम्नानुसार है:</p> <p>(i) <b>बैलेंस शीट:</b> कॉर्पस फंड में ₹ 2,135.99 लाख की कमी आई, निर्धारित/बंदोबस्ती फंड में ₹1,297.31 लाख की वृद्धि हुई और चालू देनदारियों और प्रावधानों में ₹838.67 लाख की वृद्धि हुई और कुल परिसंपत्तियों में ₹ 0.01 लाख कमी आई।</p> <p>(ii) <b>आय और व्यय खाता:</b> कुल आय में ₹ 9,886.31 लाख की कमी आई, कुल व्यय में ₹ 7,174.14 लाख की कमी आई और आय और व्यय खाते में अधिशेष में ₹ 2,712.17 लाख की कमी आई।</p>  |

| क.3 | <p>एनएबी के नियमों और विनियमों के खंड 15.3(बी) के अनुसार, गवर्निंग काउंसिल को हर छह महीने में कम से कम एक बैठक ऐसे समय और स्थान पर आयोजित करनी होगी, जिसे अध्यक्ष निर्धारित करें। हालाँकि, वर्ष 2019-20 के दौरान गवर्निंग काउंसिल की केवल एक बैठक आयोजित की गई थी।</p> | <p>इससे पहले, एनएबी का कार्य फेम योजना के तहत प्रोत्साहनों का भुगतान जारी करने तक ही सीमित था। इन योजनाओं का प्रबंधन एमएचआई (पहले डीएचआई) के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था और एनएबी को निधि का वितरण पीएओ, एमएचआई के माध्यम से किया जा रहा था। एनएबी ने नैटिस के एनएबी में विलय के बाद सोसायटी के रूप में अपना पूर्ण कामकाज शुरू किया और नैटिस के सचिवालय ने एनएबी की गतिविधियों एवं कामकाज अपने हाथ में ले लिया।</p> <p>वर्तमान में वर्ष 2022 से सोसायटी नियमित आधार पर जीसी बैठक, एजीएम आदि आयोजित कर रही है।</p> <p>सोसायटी का पंजीकरण 27 अगस्त, 2013 को हुआ। सोसायटी ने वर्षवार निम्नलिखित बैठकें आयोजित की हैं जो इस प्रकार हैं:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सं</th><th>वर्ष</th><th>जी.सी. बैठक</th><th>एजीएम/ईजीएम</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2013</td><td>पहली 02.09.2013</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>2014</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>2015</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>2016</td><td>दुसरी 08.04.2016</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>2017</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>2018</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>2019</td><td>तीसरी 15.10.2019</td><td>पहली 15.10.2019</td></tr> <tr><td>8</td><td>2020</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>2021</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>2022</td><td>चौथी 09.02.2022</td><td>दुसरी 09.02.2022</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>पाँचवीं 02.11.2022</td><td>02.11.2022</td></tr> <tr><td>11</td><td>2023</td><td>छठी 06.04.2023</td><td>तीसरी 06.04.2023</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>सातवीं 25.08.2023</td><td>25.08.2023</td></tr> <tr><td>12</td><td>2024</td><td>आठवीं 19.07.2024</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>नवीं 22.11.2024</td><td>चौथी 22.11.2024</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>दसवीं 13.12.2024</td><td>13.12.2024</td></tr> </tbody> </table> <p>इसके अलावा, 17.03.2021 के एमएचआई आदेश के अनुसार, एनएबी ने नैटिस को अपने अधीन ले लिया। आदेश के अनुसार, एनएबी ने सचिवालय नैटिस के सहयोग से अपना संचालन शुरू किया और नैटिस के तहत बनाए गए केंद्रों जैसे जीएआरसी, नैटेक्स, आईसीएटी आदि का प्रशासन अपने अधीन ले लिया। अब, एकीकरण के बाद, नैटिस (हस्तानन्तरण कर्ता सोसाइटी) के ये कर्मचारी अब एनएबी (हस्तानयांत्रित सोसाइटी) के कर्मचारी हैं।</p> <p>नैटिप परियोजना वर्ष 2021 में पूरी हो गई और एनएबी के साथ नैटिस के विलय की प्रक्रिया फरवरी, 2023 में पूरी हुई।</p> | सं               | वर्ष | जी.सी. बैठक | एजीएम/ईजीएम | 1 | 2013 | पहली 02.09.2013 |  | 2 | 2014 | - |  | 3 | 2015 | - |  | 4 | 2016 | दुसरी 08.04.2016 |  | 5 | 2017 | - |  | 6 | 2018 | - |  | 7 | 2019 | तीसरी 15.10.2019 | पहली 15.10.2019 | 8 | 2020 | - |  | 9 | 2021 | - |  | 10 | 2022 | चौथी 09.02.2022 | दुसरी 09.02.2022 |  |  | पाँचवीं 02.11.2022 | 02.11.2022 | 11 | 2023 | छठी 06.04.2023 | तीसरी 06.04.2023 |  |  | सातवीं 25.08.2023 | 25.08.2023 | 12 | 2024 | आठवीं 19.07.2024 |  |  |  | नवीं 22.11.2024 | चौथी 22.11.2024 |  |  | दसवीं 13.12.2024 | 13.12.2024 |
|-----|--|---|------------------|------|-------------|-------------|---|------|-----------------|--|---|------|---|--|---|------|---|--|---|------|------------------|--|---|------|---|--|---|------|---|--|---|------|------------------|-----------------|---|------|---|--|---|------|---|--|----|------|-----------------|------------------|--|--|--------------------|------------|----|------|----------------|------------------|--|--|-------------------|------------|----|------|------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|------------------|------------|
| सं  | वर्ष   | जी.सी. बैठक   | एजीएम/ईजीएम      |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
| 1   | 2013   | पहली 02.09.2013   |                  |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
| 2   | 2014   | -   |                  |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
| 3   | 2015   | -   |                  |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
| 4   | 2016   | दुसरी 08.04.2016  |                  |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
| 5   | 2017   | -   |                  |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
| 6   | 2018   | -   |                  |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
| 7   | 2019   | तीसरी 15.10.2019  | पहली 15.10.2019  |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
| 8   | 2020   | -   |                  |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
| 9   | 2021   | -   |                  |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
| 10  | 2022   | चौथी 09.02.2022   | दुसरी 09.02.2022 |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
|     |  | पाँचवीं 02.11.2022  | 02.11.2022       |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
| 11  | 2023   | छठी 06.04.2023  | तीसरी 06.04.2023 |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
|     |  | सातवीं 25.08.2023   | 25.08.2023       |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
| 12  | 2024   | आठवीं 19.07.2024  |                  |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
|     |  | नवीं 22.11.2024   | चौथी 22.11.2024  |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |
|     |  | दसवीं 13.12.2024  | 13.12.2024       |      |             |             |   |      |                 |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |  |   |      |   |  |   |      |   |  |   |      |                  |                 |   |      |   |  |   |      |   |  |    |      |                 |                  |  |  |                    |            |    |      |                |                  |  |  |                   |            |    |      |                  |  |  |  |                 |                 |  |  |                  |            |

| <p><b>ख.</b></p> <p><b>सहायता अनुदान</b></p> <p>वर्ष 2019-20 के दौरान एनएबी द्वारा सहायता अनुदान की प्राप्ति और उपयोग की स्थिति निम्नानुसार थी:</p> <p style="text-align: center;">(लाख ₹ में)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>विवरण</th><th>स्थापना और बुनियादी ढांचा अनुदान</th><th>डीआईडीएम अनुदान</th><th>कुल</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 अप्रैल 2019 तक शेष राशि</td><td>137.62</td><td>-</td><td>137.62</td></tr> <tr> <td>वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान</td><td>100.00</td><td>9,283.69</td><td>9,383.69</td></tr> <tr> <td>वर्ष के दौरान उपयोग किये गये अनुदान</td><td>113.62</td><td>7,986.38</td><td>8,100.00</td></tr> <tr> <td><b>31 मार्च 2020 तक शेष राशि</b></td><td><b>124.00</b></td><td><b>1,297.31</b></td><td><b>1,421.31</b></td></tr> </tbody> </table> <p>इसके अतिरिक्त, एनएबी ने वर्ष 2019-20 के दौरान अनुदान सहायता पर ₹ 94.76 लाख का ब्याज अर्जित किया।</p> | विवरण                            | स्थापना और बुनियादी ढांचा अनुदान | डीआईडीएम अनुदान | कुल | 1 अप्रैल 2019 तक शेष राशि | 137.62 | - | 137.62 | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान | 100.00 | 9,283.69 | 9,383.69 | वर्ष के दौरान उपयोग किये गये अनुदान | 113.62 | 7,986.38 | 8,100.00 | <b>31 मार्च 2020 तक शेष राशि</b> | <b>124.00</b> | <b>1,297.31</b> | <b>1,421.31</b> | <p>नोट कर लिया</p> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----|---------------------------|--------|---|--------|------------------------------|--------|----------|----------|-------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| विवरण  | स्थापना और बुनियादी ढांचा अनुदान | डीआईडीएम अनुदान                  | कुल             |     |                           |        |   |        |                              |        |          |          |                                     |        |          |          |                                  |               |                 |                 |                    |
| 1 अप्रैल 2019 तक शेष राशि  | 137.62                           | -                                | 137.62          |     |                           |        |   |        |                              |        |          |          |                                     |        |          |          |                                  |               |                 |                 |                    |
| वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान   | 100.00                           | 9,283.69                         | 9,383.69        |     |                           |        |   |        |                              |        |          |          |                                     |        |          |          |                                  |               |                 |                 |                    |
| वर्ष के दौरान उपयोग किये गये अनुदान  | 113.62                           | 7,986.38                         | 8,100.00        |     |                           |        |   |        |                              |        |          |          |                                     |        |          |          |                                  |               |                 |                 |                    |
| <b>31 मार्च 2020 तक शेष राशि</b>   | <b>124.00</b>                    | <b>1,297.31</b>                  | <b>1,421.31</b> |     |                           |        |   |        |                              |        |          |          |                                     |        |          |          |                                  |               |                 |                 |                    |
| <p><b>ग.</b></p> <p><b>प्रबंधन पत्र</b></p> <p>वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।</p>  | <p>नोट कर लिया</p>               |                                  |                 |     |                           |        |   |        |                              |        |          |          |                                     |        |          |          |                                  |               |                 |                 |                    |

**पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक 1**

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | <b>आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता।</b><br><br>एनएबी में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी और वर्ष 2019-20 के दौरान आंतरिक ऑडिट नहीं किया गया था।   | <p>इससे पहले, एनएबी का कार्य फेम योजना के तहत प्रोत्साहनों का भुगतान जारी करने तक ही सीमित था। इन योजनाओं का प्रबंधन एमएचआई (पहले डीएचआई) के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था और एनएबी को निधि का वितरण पीएओ, एमएचआई के माध्यम से किया जा रहा था। एनएबी ने नैटिस के एनएबी में विलय के बाद सोसायटी के रूप में अपना पूर्ण कामकाज शुरू किया और नैटिस के सचिवालय ने एनएबी की गतिविधियों एवं कामकाज अपने हाथ में ले लिया।</p> <p>नैट्रिप परियोजना वर्ष 2021 में पूरी हो गई और एनएबी के साथ नैटिस के विलय की प्रक्रिया फरवरी, 2023 में पूरी हुई।</p> <p>नैटिस के एनएबी के साथ विलय के बाद, वित वर्ष 2021-22 से आंतरिक लेखा परीक्षा भी शुरू कर दी गई है।</p>  |
| 2 | <b>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता।</b><br><br>एनएबी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी और संगठन के आकार के अनुरूप नहीं थी। एनएबी को वित वर्ष 2019-20 के दौरान अनुदान प्राप्त हुआ और व्यय हुआ। हालांकि, एनएबी में नियमित जनशक्ति नहीं थी और एनएबी की गतिविधियों की देखरेख भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), अब भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी, जो डीएचआई में अपने संबंधित प्रभारों के अलावा थी। | <p>17.03.2021 के एमएचआई आदेश के अनुसार, एनएबी ने नैटिस को अपने अधीन कर लिया। आदेश के अनुसार, एनएबी ने सचिवालय नैटिस के सहयोग से अपना संचालन शुरू किया और नैटिस के तहत बनाए गए केंद्रों जैसे जीएआरसी, एनएटीआरएक्स, आईसीएटी आदि का प्रशासन अपने अधीन ले लिया। अब, एकीकरण के बाद, नैटिस (हस्तानन्तरण कर्ता सोसाइटी) के ये कर्मचारी अब एनएबी (हस्तानन्तरित सोसाइटी) के कर्मचारी हैं।</p> <p>नैट्रिप परियोजना वर्ष 2021 में पूरी हो गई और एनएबी के साथ नैटिस के विलय की प्रक्रिया फरवरी, 2023 में पूरी हो हुई।</p> <p>वर्तमान में, एनएबी परिचालन को आगे बढ़ाने के लिए, एनएबी में तीन (3) कार्यात्मक सदस्यों के पद और पांच (5) निदेशक, एनएबी के पद का अतिरिक्त प्रभार एमएचआई में कार्यरत अधिकारियों को सौंपा गया है।</p> <p>इसके अलावा, दिनांक 01.07.2024 को आयोजित अपनी छठी बैठक में लेखापरीक्षा समिति के निर्देशानुसार, सभी एनएबी परीक्षण केंद्रों के लिए लेखांकन शीर्षों, नीति और प्रक्रियाओं में एकरूपता की दिशा में एक एसओपी तैयार और अपनाया गया है, जो केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा निर्धारित खातों के एक समान प्रारूप के अनुरूप है।</p> |
| 3 | <b>अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</b><br><br>एनएबी ने वर्ष 2019-20 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया।  | <p>31.03.2020 तक सोसायटी के पास सकल मूल्य पर अचल संपत्ति केवल ₹1.18 लाख (शुद्ध मूल्य ₹ 0.27 लाख) की थी।</p> <p>परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>सॉफ्टवेयर सहित एक कंप्यूटर</li> <li>एक नं. यू.पी.एस.</li> <li>दो प्रिंटर</li> </ul> <p>अचल सम्पत्ति रजिस्टर और उसके अस्तित्व का विवरण लेखापरीक्षा टीम को दिया गया, जो लेखा पुस्तकों के अनुरूप था।</p>   |

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 4 | रहतिया के भौतिक सत्यापन की प्रणाली<br>वर्ष 2019-20 के दौरान एनएबी के पास कोई<br>रहतिया नहीं थी।   | नोट कर लिया |
| 5 | वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में<br>नियमितता<br><br>एनएबी वर्ष 2019-20 के दौरान निर्विवाद वैधानिक<br>बकाया का भुगतान नियमित रूप से करता था। | नोट कर लिया |





भविष्य की ओर भारत

## राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

(भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत समिति)

पंजीकृत कार्यालय : कमरा न.-123 सी, उद्योग भवन,  
भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली-110011

कॉर्पोरेट कार्यालय : द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र  
(आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122051)  
दूरभाष:+91-124-6900000